बिहार पुलिस मुख्यालय
प्रेस नोट
(09.03.2021)

बिहार पुलिस एवं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU) के बीच वर्ष 2020 में संयुक्त प्रशिक्षण, अध्ययन, अनुसंधान एवं कार्यशाला आदि हेतु **MoU (Memorandum of Understanding)** हस्ताक्षरित किया गया था। इस साझेदारी के अंतर्गत समय–समय पर संयुक्त आयोजन किये जाते हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक–09.03.2021 को सरदार पटेल भवन में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं CNLU द्वारा एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था **"Investigation & Prosecution: Human Rights Interface".** इस कार्याशाला में जिलों से अनुसंधानकर्ता एवं पर्यवेक्षणकर्ताओं के अलावा अभियोजन पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इस कार्याशाला के उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि के रूप में CNLU की **Vice Chancellor**, माननीय जस्टिस श्रीमती मृदुला मिश्रा, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार सैन्य पुलिस के महानिदेशक श्री आर0एस0 भट्टी उपस्थित हुए। श्री भट्टी ने अनुसंधान के दौरान मानवाधिकार संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए Arrest Policy (गिरफ्तारी हेतु मानक नीति) बनाने पर जोर दिया। जस्टिस मृदुला मिश्रा द्वारा अभियोजन के दौरान मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु Sentence Policy निर्धारित करने को महत्वपूर्ण बताया। इस कार्यशाला में CNLU के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में मानवाधिकार सुदृढ़ करने हेतु अपने विचार रखे। इसके अलावा वरीय पुलिस पदाधिकारियों एवं विधि विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान एवं अभियोजन में परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु Panel Discussion किया गया। इस कार्यशाला का करीब 150 पुलिस एवं अभियोजन पदाधिकारियों द्वारा लाभ उठाया गया।